	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	Published by Authority

पौष 10, शुक्रवार, शाके 1943- दिसम्बर 31, 2021
Pausa 10, Fridya, Saka 1943- December 31, 2021

भाग-1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें ।

सांख्यिकी विभाग

परिपत्र

जयपुर, दिसम्बर 30, 2021

संख्या प.5(64)सीओआई/सम/डीईएस:- भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त से प्राप्त अ.शा. पत्र एवं जनगणना कार्य निदेशालय से प्राप्त पत्र के दिशा-निर्देशानुसार भारत की जनगणना- 2021 को मध्यनजर रखते हुये राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.10.2019 के द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सीमाओं में 31 दिसम्बर, 2019 के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावें, जब तक कि 2021 की जनगणना का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता।

कोविड-19 महामारी के कारण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली के निर्देशानुसार राज्य की प्रशासनिक इकाईयों के स्थिरीकरण की समय सीमा को राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.5(64)सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1/1662 दिनांक 10.08.2020 द्वारा 31 दिसम्बर, 2019 से बढाकर 31 दिसम्बर, 2020, परिपत्र क्रमांक एफ.5(64) सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1/185 दिनांक 09.02.2021 द्वारा 31 दिसम्बर, 2020 से बढाकर 31 मार्च, 2021 एवं राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.5(64)सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1/499 दिनांक 11.05.2021 द्वारा 31 मार्च, 2021 से बढाकर 30 जून, 2021 तथा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.5(64)सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1/720 दिनांक 13.07.2021 द्वारा 30 जून, 2021 से बढाकर 31 दिसम्बर, 2021 कर दी गई।

कोविड-19 महामारी के नये वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण मौजूदा परिस्थितयों को देखते हुए महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र के दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक इकाईयों स्थिरीकरण की समय सीमा पुन: 31 दिसम्बर, 2021 से बढाकर 30 जून, 2022 की जाती है ।

इसे आवश्यक समझा जावें ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
निरंजन आर्य,
मुख्य सचिव ।

10960

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।